(वाद सं0–1680/4/8/2022)

27.07.2023

प्रसंगाधीन मामला मोतिहारी जिला के एक मृत गृहरक्षक, स्व0 सत्यनारायण राम, के कर्त्तव्य के दौरान मृत्यु हो जाने के उपरान्त उसके आश्रित पुत्र (परिवादी, राम विनय राम) को अनुग्रह अनुदान के रूप में (04) चार लाख रूपये का भुगतान न किये जाने तथा अनुकम्पा के आधार पर गृहरक्षक के पद पर मृत गृहरक्षक के आश्रित को नामांकित न कर, उसे प्रताड़ित करने से सम्बन्धित है।

उपरोक्त पर **जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी** से प्रतिवेदन की माँग की **गई। जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी** के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित **जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी** के प्रतिवेदनानुसार, परिवादी को उसके मृत गृहरक्षक पिता के कर्त्तव्य के दौरान हुए मृत्यु पर (04) चार लाख रूपये का अनुग्रह अनुदान का भुगतान कर दिया गया है। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेखित किया गया है कि परिवादी की माता को उसके पति के मृत्यु के उपरान्त पारिवारिक पेन्शन का लाभ उसके जीवनकाल (दिनांक–11.05.2021 तक) का भुगतान भी किया जा चुका है। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेखित किया गया है कि अनुकम्पा चयन समिति द्वारा परिवादी को गृहरक्षक के रूप में नामांकन कर, बुनियादी प्रशिक्षण हेतु, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, आनन्दपुर, बिहटा भेज दिया गया है।

अब जबकि परिवादी के परिवाद पत्र में उल्लेखित समस्त शिकायतों का निराकरण सक्षम प्राधिकार के द्वारा किया जा चुका है, तो ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग

के स्तर से मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं पाकर इसे संचिकास्त किया जाता है।

**कार्यालय आज पारित आदेश के साथ जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के प्रतिवेदन की प्रति (पृष्ठ 23–22/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।**

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक